

राजस्थान जयपुर
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-निसंशि/सस्था-3(कखग)/स्थाना./2019/ 3698-3709 दिनांक :- 21/2/19

:: आदेश ::

निम्नलिखित शारीरिक शिक्षको का स्थानान्तरण स्वैच्छिक/प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थाओं में तत्काल प्रभाव से किया जाता:-

| क्र.स. | नाम कार्मिक | पदनाम | वर्तमान पदस्थापन स्थान | नवीन पदस्थापन स्थान | विशेष विवरण |
|--------|---------------------|----------------|--|---|--------------------------------|
| 1. | डॉ. प्रेम सिंह मीणा | शारीरिक शिक्षक | राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय कालाडेर, जयपुर | निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर | रिक्त पद पर |
| 2. | गोविन्द सहाय बगडिया | शारीरिक शिक्षक | राज. शा. सं. महाविद्यालय सालासर, चूरु | राज. शा. सं. महाविद्यालय श्रीमाधोपुर, सीकर | श्री गणेशराम वर्मा के स्थान पर |
| 3. | गणेशराम वर्मा | शारीरिक शिक्षक | राज. शा. सं. महाविद्यालय श्रीमाधोपुर, सीकर | राज. आचार्य संस्कृत महाविद्यालय गनोडा, बांसवाडा | रिक्त पद पर |

नोट :- स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश की पालना में तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा। क्र.सं. 3 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता व योगकाल देय होगा। निर्वाचन कार्यो में कर्त्तव्यारूढ कार्मिकों के संबंध में कार्यमुक्ति सक्षम स्वीकृति के पश्चात की जावें।

(हरजी लाल अटल)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
4. संबंधित संस्था प्रधान।
5. संबंधित संकुल प्रभारी।
6. संबंधित शिक्षक।
7. वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. व्यक्तिगत/संरक्षण पंजिका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

राजस्थान जयपुर
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-निसंशि/सस्था-3(कखग)/स्थाना./2019/ 3710-16

दिनांक :- 21/2/19

:: आदेश ::

निम्नलिखित शारीरिक शिक्षको का स्थानान्तरण स्वैच्छिक/प्रशासनिक दृष्टि से उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्थाओं में तत्काल प्रभाव से किया जाता:-

| क्र.स. | नाम कार्मिक | पदनाम | वर्तमान पदस्थापन स्थान | नवीन पदस्थापन स्थान | विशेष विवरण |
|--------|-----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. | संत कुमार शर्मा | शारीरिक शिक्षक | राज.वरि.उपा.सं.वि., मुण्डरू - सीकर | राज.वरि.उपा.सं.वि., झांझड - झुझुनू | पद सहित स्थानान्तरण |

नोट :- स्थानान्तरित कार्मिकों को आदेश की पालना में तत्काल प्रभाव से आवश्यक रूप से नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यारम्भ करना होगा। निर्वाचन कार्यों में कर्तव्यारूढ़ कार्मिक के संबंध में कार्यमुक्ति सक्षम स्वीकृति के पश्चात की जावे।

(हरजी लाल अटल)

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय संस्कृत शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी।
4. संबंधित संस्था प्रधान।
5. संबंधित संकुल प्रभारी।
6. संबंधित शिक्षक।
7. वेबसाइट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर को उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. व्यक्तिगत/संरक्षण पंजिका।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर